न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 43 / 2020

कॉरपोरेशन बैंक
पंजीकृत कार्यालय :– 2223, हरदियान सिंह रोड, करोल बाग, नई दिल्ली
.....प्रार्थी

बनाम

(1) श्री शानूर एग्रो प्राईवेट लि0
पता:– 1बी / 25, बेसमेंट पूसा रोड, राजिन्दर नगर, दिल्ली व शानूर एग्रो प्राईवेट लि0 132, कृष्णा कॉलोनी, नया खेडा, अम्बाबाडी, जयपुर 302003
(2) श्री एम0 आर0 खान
पता:– 28 / 530, आहता मौहल्ला, अजमेर 305001
(3) श्रीमती रूही खान
पता:– 28 / 530, आहता मौहल्ला, अजमेर 305001
(4) श्री मोहम्मद शाहिद
पता:– 1–बी / 25, ग्राउण्ड फ्लोर, एन ई ए पूसा रोड, दिल्ली। .....अप्रार्थीगण (ऋणी)

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– श्री प्रवीण सिंह राजावत अभिभाषक प्रार्थी

आदेश दिनांक 20.01.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण श्री शानूर एग्रो प्राईवेट लि0 व श्री एम0 आर0 खान, निवासी– 1बी / 25, बेसमेंट पूसा रोड, राजिन्दर नगर, दिल्ली व 132, कृष्णा कॉलोनी, नया खेडा, अम्बाबाडी, जयपुर 302003 को दिनांक 16.09.2016 को रू 1,92,00,000(एक करोड बानवे लाख रूपये मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर आहता मौहल्ला, अजमेर (राज.) स्थित अचल सम्पति ए0एम0सी0 नम्बर 16 / 188, जिसका क्षेत्रफल 143.96 वर्ग गज जिसके विक्रयपत्र का पंजीयन उप पंजीयक अजमेर में पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1451ए में कम संख्या 961 पृष्ठ संख्या 107 से 110 पर दिनांक 22.4.1943 को पंजीबद्व किया गया है तथा उक्त सम्पत्ति के दो वारिसान मोहम्मद इरफान खान व महफूज उर रहमान में से मोहम्मद इरफान खान ने अपनी उपरोक्त सम्पत्ति का अपना हिस्सा जरिये रीलिज डीड दिनांक 8.6.2006 से श्री महफूज उर रहमान के पक्ष में हक त्याग कर दिया जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय अजमेर 2 में दिनांक 8.6.2006 को पुस्तक संख्या 1 दिल्द संख्या 48 में पृष्ठ संख्या 76 कम संख्या 2006003143 पर पंजीबद्व किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 दिल्द संख्या 190 के पृष्ठ संख्या 224 से 230 पर चस्पा किया गया है जिसकी चतुर्थ सीमाएं निम्नानुसार है–पूर्व–गली 06 फुट चौडी जिसके पश्चात श्री भगतराम जी की जायदाद, पश्चिम–आम रास्ता, उत्तर–गली 06 फुट चौडी जिसके पश्चात श्री दुर्गाप्रसाद जी वकील की व अन्य की जायदाद, दक्षिण–चौक व श्री तोलाराम जी की जायदाद, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 30.09.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत

जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 01.10.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये 1,98,02,997/–(अक्षरे रूपये एक करोड अठयानवे लाख दो हजार नौ सौ सत्यानवे मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रार्थी प्रार्थी प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक आहता मौहल्ला, अजमेर (राज.) स्थित अचल सम्पति ए0एम0सी0 नम्बर 16/188, जिसका क्षेत्रफल 143.96 वर्ग गज जिसके विक्रयपत्र का पंजीयन उप पंजीयक अजमेर में पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1451ए में क्रम संख्या 961 पृष्ठ संख्या 107 से 110 पर दिनांक 22.4.1943 को पंजीबद्व किया गया है तथा उक्त सम्पत्ति के दो वारिसान मोहम्मद इरफान खान व महफूज उर रहमान में से मोहम्मद इरफान खान ने अपनी उपरोक्त सम्पत्ति का अपना हिस्सा जरिये रीलिज डीड दिनांक 8.6.2006 से श्री महफूज उर रहमान के पक्ष में हक त्याग कर दिया जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय अजमेर 2 में दिनांक 8.6.2006 को पुस्तक संख्या 1 दिल्द संख्या 48 में पृष्ठ संख्या 76 क्रम संख्या 2006003143 पर पंजीबद्व किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 दिल्द संख्या 190 के पृष्ठ संख्या 224 से 230 पर चस्पा किया गया है जिसकी चतुर्थ सीमाएं निम्नानुसार है–पूर्व–गली 06 फुट चौडी जिसके पश्चात श्री भगतराम जी की जायदाद, पश्चिम–आम रास्ता, उत्तर–गली 06 फुट चौडी जिसके पश्चात श्री दुर्गाप्रसाद जी वकील की व अन्य की जायदाद, दक्षिण–चौक व श्री तोलाराम जी की जायदाद, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 20.01.2020 को सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner